No. 49-03/2010-SPB-I
Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts

Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi, dated 01.05.2018

To,

1. All Chief Postmasters General
2. All Postmasters General
3. Director, PSCI, Ghaziabad

Subject: Department of Posts (Stenographer Grade-I) Recruitment Rules, 2018

Madam/Sir,

I am directed to forward herewith a copy of recruitment rules for the post of Stenographer Grade-I dated 17.04.2018 notified in the Official Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i).

2. It is requested that the provisions of recruitment rules may be brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

01/05/2018

Encl: As above

(Satya Narayana Dash)
Assistant Director General (SPN)

Copy for information to:

1. Secretary (Posts)
2. All Members of the Postal Board
3. Secretary (PSB)
4. CGM (BD) / CGM (MB) / CGM (PLI) / Director Postal Staff College, India, Ghaziabad
5. All Deputy Directors General
6. Pr. Director of Audit (Postal), Delhi-54
7. Additional Director General, APS, R.K.Puram, New Delhi
8. Chief Engineer (Civil), HQ
9. Director (CEPT), Mysore for uploading the letter along with the Recruitment Rules of Stenographer Grade-I in the India Post website.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 2018/चैत्र 27, 1940
No. 247] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 2018/CHAITRA 27, 1940

संचार मंत्रालय
(डाक विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 375(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा डाक विभाग (आशुलिपिक ग्रेड– I) भर्ती नियमावली, 2001 और डाक एवं तार (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संचार मंत्रालय, डाक विभाग में आशुलिपिक ग्रेड–I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** –

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (आशुलिपिक ग्रेड–I) भर्ती नियम, 2018 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** — पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं इत्यादि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं** — वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की भाक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेष द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, पूर्व–सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा गैर–चयन पद**	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	**सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
1	2	3	4	5	6	7
आशुलिपिक ग्रेड–I	251*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। **टिप्पणी**: ये पद 23 डाक सर्कलों अर्थात्, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए हैं।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35,400–1,12,400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और भौक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगीं या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति–सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना किस प्रकार की है?**	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।**
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रोन्नति के मामले में दो वर्ष	66.67 प्रतिषत प्रोन्नति द्वारा, 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है!	**प्रोन्नति** : संबंधित सर्कल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25,500–81,100) के ऐसे विभागीय आशुलिपिक ग्रेड–II, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रोन्नति, आशुलिपिक ग्रेड–I के प्रोन्नत पद के कर्तव्यों अथवा दायित्वों के क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किए जाने के अध्यधीन होगी!	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति** – 1. निदेशक, डाक सेवा – अध्यक्ष 2. सहायक पोस्टमास्टर जनरल– सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

			परन्तु उन व्यक्तियों के मामले पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक से पूर्व प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, बशर्ते कि वे अपेक्षित प्रशिक्षण, विभागीय प्रोन्नति समिति की ऐसी बैठक के एक वर्ष के अंदर पूरा कर लें। तथापि, दो वर्ष की अवधि के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को ऐसे प्रशिक्षण में छूट प्राप्त होगी। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)**: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासनों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध–सरकारी अथवा स्वायत्त निकायों अथवा कानूनी संगठनों के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले अधिकारी: (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो, अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (29,200–92,300) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो, अथवा (iii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (25,500–81,100 रुपए) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो, **टिप्पण**: पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार,	3. ज्येष्ठ अधीक्षक, डाकघर – सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति – 1. निदेशक, डाक सेवा – अध्यक्ष 2. सहायक पोस्टमास्टर जनरल– सदस्य 3. ज्येष्ठ अधीक्षक, डाकघर – सदस्य	

			प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/संविदा पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. 49–03/2010–एसपीबी–I]

जी. राजीव, निदेशक (एसपीएन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the17th April, 2018

G.S.R. 375(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Posts (Stenographer Grade I) Recruitment Rules, 2001 and Posts and Telegraphs (Stenographers Grade II) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade I in the Department of Posts, Ministry of Communications, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Department of Posts (Stenographer Grade-I) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, their classification and Level in the Pay Matrix.—The number of posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to the rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,–

(a) Who, has entered into or contracted a marriage with a person having a Spouse living; or.

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-serviceman, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Stenographer Grade-I	251* (2018) *subject to variation dependent on workload **Note:** The posts are distributed amongst 23 Postal Circles namely, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, North East, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamilnadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Level-6 (Rs. 35,400 - 1,12,400) in the Pay Matrix	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	66.67% by Promotion, 33.33% by Deputation including short term contract

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: The Departmental Stenographers Grade-II in respective Circle in the Level-4 (Rs. 25,500 - 81,100) in the Pay Matrix with ten years regular service in the grade. Promotion shall be subject to completion of 2 to 4 weeks training in the field of duties or responsibilities of the promotional post of Stenographer Grade-I. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to the conditions that the required training shall be completed within one year of the date of such meeting of Departmental	Group 'B' Departmental Promotion Committee: 1. Director Postal Services—Chairman 2. Assistant	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Promotion Committee. However, those persons who are due to retire within two years may be exempted from completion of such training for promotion. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (Including short term contract):** Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Government or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-5 (Rs. 29,200 - 92,300) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-4 (Rs. 25,500 - 81,100) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department. **Note:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	Postmaster General—Member 3. Senior Superintendent of Post Offices—Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee: 1. Director Postal Services—Chairman 2. Assistant Postmaster General—Member 3. Senior Superintendent of Post Offices—Member.	

[F. No. 49-03/2010-SPB-I]

G. RAJEEV, Dir. (SPN)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.